भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3897

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

सिंगरेनी कोयला क्षेत्र

3897. **डॉ॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलंगाना राज्य में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र से भविष्य में कोयले का उत्खनन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने तेलंगाना में विभिन्न आवश्यकता हेतु कोयले की मांग और आपूर्ति और राजस्व सृजन के लिए इसके निर्यात की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में सुरंगों में काम करते समय कोयला कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोयला क्षेत्रों में दुर्घटना के कारण कितने कामगार मारे गए हैं और उनके परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : भविष्य में कोयला निष्कर्षण करने के लिए सिंगरेनी कोल कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने तेलंगाना राज्य में अगले पांच वर्षों में 12 अतिरिक्त कोयला खानें (11 ओपनकास्ट खानें + 1 भूमिगत खान) शुरू करने की योजना बनाई है।

(ख) : वित्त वर्ष 2019-20 (10.07.2019 तक) के लिए तेलंगाना राज्य को एससीसीएल कोयले की मांग एवं आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मात्रा लाख टन में)

क्षेत्र	**वार्षिक मांग (एफएसए/एमओयू)**	**प्रगतिशील मांग**	**प्रगतिशील आपूर्ति**
विद्युत	316.40	87.55	84.51
गैर-विद्युत	94.00	23.5	17.63
कुल	410.40	111.05	102.14

वर्तमान में, तेलंगाना से देश के बाहर कोयला निर्यात करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) : एससीसीएल सुरंगों में काम करते समय कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

I. टनल ड्राइवेज शुरू करने से पहले अन्वेषण विभाग द्वारा क्षेत्र / स्थान की चट्टान के प्रकारों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है तथा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें टनल ड्राइवेज हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति का विस्तृत विवरण होता है। इसके लिए भी एक योजना बनाई जाती है।

II. ऑयरन गर्डर्स, कंक्रीट लाईनिंग आदि जैसी स्थायी संरचना से रूफ एवं साईड को मजबूती प्रदान की जाती है।

III. कुशलतापूर्वक संचालित सहायक पंखों द्वारा पर्याप्त वायु संचार की व्यवस्था की जाती है।

IV. टनल ड्राइवेज के समय उपयुक्त ग्रेडिएंट रखा जाता है ताकि एलएचडी/एसडीएल आदि जैसी मशीनों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

V. रूफ और साईड पर प्रभाव को कम करने के लिए नियंत्रित विस्फोटन तकनीक अपनाई जाती है।

VI. टनल संबंधी कार्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षी स्टॉफ की नियुक्ति की जाती है ताकि कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान एससीसीएल की खानों में मरने वाले कामगारों की संख्या और प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**कोयला खानों में मरने वाले कामगारों की संख्या**	**उनके परिवारों को प्रदान किए गए मुआवजे की राशि (लाख रु.)**
1	2016	12	143.01
2	2017	12	124.82
3	2018	07	93.04
4	2019*	05	59.63

*जून 2019 तक

*****